न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/90

केसरी सिंह आयु 68 वर्ष आत्मज पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी गुरूनानक कॉलोनी बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. हरवंश कौर आयु 70 वर्ष पत्नी जसवन्त सिंह जाति मजहबी सिख निवासी बावडीखेडा, उमरच रामगंज तहसील व जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक महोदय, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कमलेश त्रिपाठी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 30.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (ए) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उमरच में प्रार्थिया की खसरा नम्बर 30 एवं 33 की रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । प्रार्थिया की भूमि के दक्षिण दिशा में प्रार्थिया के खते की मेड अप्रार्थी केसरी सिंह के खेत खसरा नम्बर 36 से मिली हुई है । अप्रार्थी के खेत के बाई ओर पश्चिम में ड्रेन बनी हुई है । सरकारी ड्रेन खसरा नम्बर 37 के दोनों ओर लगभग 20 – 20 फिट के रास्ते

है। और ड्रेन के रास्ते से अप्रार्थी के खेत की मेड मिली हुई है । पूर्व में प्रार्थिया के खेत तक एक सरकारी रास्ता जाता था जो रिकॉर्ड, नक्शे में खसरा नम्बर 35 के रूप में मौजूद है परन्तु उक्त रास्ते पर काश्तकारों ने अतिक्रमण कर बन्द कर दिया है । प्रार्थिया के पास अपनी भूमि पर जाने के लिए कोई विधिवत रास्ता मौजूद नहीं है । प्रार्थिया को अपनी भूमि पर जाने के लिए अप्रार्थी क्रम 01 की भूमि का इस्तेमाल करना पडता है । प्रार्थिया सरकारी ड्रेन के पास खसरा नम्बर 32 के खते की मेड के सहारे से अप्रार्थी क्रम 01 की भूमि खसरा नम्बर 36 में से 60 फिट लम्बा व 10 फिट चौडा रास्ता जाने के लिए चाहती है जिसके लिए प्रार्थिया कानूनन डीएलसी रेट के भुगतान के लिए तैयार है ।

3. अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिया को अप्रार्थी के खेत में से 60 फिट लम्बा एवं 10 फिट चौडा रास्ता विधिवता डीएलसी रेट के भुगतान पर स्वीकृत फरमाने की कृपा करें । उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.04.2021 के द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी के खेत में से नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.04.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के तहत नया रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थिया के पास कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 05 में अंकित किया है कि प्रार्थिया के खेत तक एक सरकारी रास्ता जाता था जो राजस्व रिकॉर्ड नक्शे ट्रेस में खसरा नम्बर 35 के रूप में मौजूद है परन्तु उक्त सरकारी रास्ते खसरा नम्बर 35 पर अतिक्रमण कर कब्जा करके उक्त सरकारी रास्ते को बन्द कर दिया है । प्रार्थिया के पास रास्ता मौजूद था तो वह धारा 251 के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकाकर फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 16.06.2021 को तहसील बून्दी से मिली जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 16.06.2021 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) के तहत पेश कर यह कथन किया कि उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 30, 33 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम उमरच तहसील व जिला बून्दी में स्थित है । आराजी के दक्षिणी दिशा में खसरा नम्बर 36 की भूमि है पूर्व में प्रार्थिया के खेत पर आने के लिए सरकारी रास्ता था परन्तु उस पर अतिक्रमण कर कब्जा करके रास्ते को बन्द कर दिया है । प्रार्थिया के पास कोई रास्ता नहीं बचा है इसलिए अप्रार्थी के खेत में से रास्ता दिया जावे । प्रकरण में अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर अपीलान्ट के खाते की आराजी में से रास्ता कायम किया गया है । अपीलान्ट के स्वयं के प्रार्थना पत्र के अनुसार पहले वैकल्पिक रास्ता मौजूद था । यदि इस रास्ते को बन्द किया गया है तो इसके खुलासे के लिए कार्यवाही की जा सकती है । रास्ते के खुलासे के लिए तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा सिविल न्यायालय में सुखाधिकार के तहत कार्यवाही की जा सकती है । मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का ने तैयार की है जबकि नियमानुसार आई0एल0आर0 स्तर के नीचे के अधिकारी के द्वारा मौका रिपोर्ट नहीं बनायी जा सकती । परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 निरस्त फरमाया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2020 पेज 18, आरआरडी 2019 पेज 424, आरआरडी 2019 पेज 106, आरआरडी 2019 पेज 311 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पास अपने खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है । इस कारण धारा 251 (ए) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर रास्ता कायम किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय में दिनांक 22.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । प्रार्थना पत्र पेश होने के उपरान्त जो रिपोर्ट प्राप्त की गई उसका अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जबकि नियमानुसार आई0एल0आर0 स्तर के नीचे के अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती । आरआरडी 2019 पेज 311, आरआरडी 2019 पेज 424 यहॉ चस्पा होती है । रिपोर्ट में यह भी अंकित नहीं है कि प्रार्थिया के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । इस प्रकार परीक्षण न्याालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारों को पाबन्द किया जाता है कि पक्षकारान दिनांक 25.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 30.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा